अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2006

(आयकर)

का.आ. 1610(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (यहां आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 80 झ क की उप-धारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने 1 अप्रैल, 1997 से शुरू होकर तथा 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये संख्या का.आ. 193(अ) दिनांक 30 मार्च, 1999 के जरिए तथा 1 अप्रैल, 1997 से शुरू होकर तथा 31 मार्च, 2006 को समाप्त अवधि के लिए संख्या का.आ. 354(अ) के जरिए भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचनाओं द्वारा औद्योगिक पार्क की योजना निमित और अधिसूचित की है;

और जबकि मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर -302005 में है, औद्योगिक क्षेत्र सरढाना, जिला पाली, राजस्थान-306401 में एक औद्योगिक पार्क का विकास कर रहा है;

और जबकि केन्द्र सरकार ने इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित नियम और शर्तों के अधीन वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के दिनांक 9-5-2006 के पत्र सं. 15/100/2005-आई पी एंड आई डी के अन्तर्गत उक्त औद्योगिक पार्क अनुमोदित किया है ;

इसलिए, अब, उक्त अधिनियम की धारा 80 झ क की उपधारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त खंड (iii) के प्रयोजनार्थ औद्योगिक पार्क के रूप में मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा विकसित तथा अनुरक्षित एवं प्रचालित किए जा रहे उक्त उपक्रम को अधिसूचित करती है।

[अधिसूचना सं. 265/2006/फा. सं. 178/77/2006-आ.का.नि.-I]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

अनुबंध

नियम एवं शर्तें जिन पर भारत सरकार ने मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपूर द्वारा औद्योगिक पार्क की गठित किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है।

1. (i) औद्योगिक उपक्रम का नाम : राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपूर
   (ii) प्रस्तावित स्थान : औद्योगिक क्षेत्र, सरढाना, जिला पाली, राजस्थान-306401
   (iii) औद्योगिक पार्क का क्षेत्रफल : 153.64 एकड़
   (iv) प्रस्तावित कार्यकलाप :

एन आई सी संहिता के साथ औद्योगिक कार्यकलाप का स्वरूप

	एन आई सी संहिता				विवरण
क्रम सं.	अनुभाग	प्रभाग	समूह	श्रेणी	
क	2 और 3	–	–	–	विनिर्माण कार्यकलाप

(v)	औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित आबंटनीय क्षेत्र का प्रतिशत	:	96.00%
(vi)	वाणिज्यिक उपयोग के लिए निर्धारित क्षेत्र का प्रतिशत	:	04.00%
(vii)	औद्योगिक यूनिटों की न्यूनतम संख्या	:	80 यूनिटें
(viii)	प्रस्तावित कुल निवेश (राशि रुपए में)	:	2,78,00,000/-
(ix)	औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थान पर निवेश (राशि रुपए में)	:	शून्य
(x)	अवसंरचनात्मक विकास पर निवेश जिसमें औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थान पर निवेश भी शामिल है (राशि रुपए में)	:	2,41,79,000/-
(xi)	औद्योगिक पार्क के आरम्भ होने की प्रस्तावित तिथि	:	31-03-2006

2. किसी औद्योगिक पार्क में अवसंरचना विकास पर न्यूनतम निवेश कुल परियोजना लागत के 50% से कम नहीं होगा । ऐसे औद्योगिक पार्क जो औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थल प्रदान करता है, के मामले में औद्योगिक स्थल के निर्माण कार्य की लागत सहित विकास अवसंरचना पर न्यूनतम खर्च कुल परियोजना लागत के 60% से कम नहीं होगा ।

3. संरचना विकास में सड़क (सम्पर्क सड़क सहित), जलापूर्ति तथा सीवरेज, दूषित जल शोधन सुविधा, टेलिकॉम नेटवर्क, विद्युत उत्पादन एवं वितरण, वातानुकूलन तथा ऐसी अन्य सुविधाएं जो औद्योगिक कार्यकलाप हेतु सामान्य उपयोग के लिए हैं जो वाणिज्यिक दृष्टि से निर्धारणीय एवं प्रयुक्त हैं ।

4. दिनांक 1 अप्रैल, 2002 की का.आ. 354(अ) के पैराग्राफ 6 के उप-पैराग्राफ (ख) में निर्दिष्ट तालिका के कालम (2) में उलिखित कोई एकल इकाई किसी औद्योगिक पार्क के लिए नियत औद्योगिक क्षेत्र का 50% से अधिक हिस्सा धारित नहीं करेगी । इस प्रयोजनार्थ किसी इकाई का आशय एक या एक से अधिक राज्य अथवा केन्द्रीय कर-कानून के प्रयोजन के लिए किसी अलग तथा भिन्न कम्पनी से है ।

5. आवश्यक अनुमोदनों, जिनमें विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा उस समय प्रवृत्त किसी कानून के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकरण द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अथवा अनिवासी भारतीय निवेश के लिए अनुमोदन शामिल है, को प्रवृत्त नीति तथा प्रक्रियाओं के अनुसार अलग से लिया जाएगा ।

6. इस अधिसूचना के पैरा 1 (vii) में विनिर्दिष्ट संख्या में इकाइयों के औद्योगिक पार्क में अवस्थित होने के उपरान्त ही इस अधिनियम के अन्तर्गत कर लाभ प्राप्त हो सकते हैं ।

7 मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर उस अवधि के दौरान औद्योगिक पार्क का प्रचालन जारी रखेगा जिस अवधि में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 झक की उप-धारा (4) के खंड (iii) के अन्तर्गत लाभ लिए जाने हैं।

8. यदि उक्त औद्योगिक पार्क के आरंभ होने में इस अधिसूचना के पैरा 1(xi) में निर्दिष्ट तिथि से एक वर्ष से ज्यादा विलम्ब होता है तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 झक की उप-धारा 4 (iii) के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए औद्योगिक पार्क योजना, 2002 के अंतर्गत नया अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा ।

9. यह अनुमोदन अवैध रहेगा और मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर ऐसी किसी प्रतिक्रिया की अवैद्यता के लिए स्वंय ही जिम्मेदार होगा, यदि

   (i) आवेदन पत्र जिसके आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, में गलत सूचना/सूचना अथवा कतिपय तथ्यपरक सूचना न दी गई हो ।

   (ii) यह उक्त औद्योगिक पार्क की अवस्थिति हेतु है जिसके लिए अनुमोदन किसी अन्य उपक्रम के नाम में पहले ही प्रदान किया गया है ।

10. यदि मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर (अर्थात अन्तरणकर्ता उपक्रम) औद्योगिक पार्क का प्रचालन और अनुरक्षण किसी दूसरे उपक्रम (अर्थात् अंतरिती उपक्रम) को हस्तांतरित करेगा तो अंतरणकर्ता और अंतरिती उपर्युक्त हस्तांतरण के लिए अंतरणकर्ता और अंतरिती उपक्रम के बीच निष्पादित करार की प्रति के साथ औद्योगिक सहायता सचिवालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली-11 की उद्यमशीलता सहायता यूनिट संयुक्त रूप से सूचित करेंगे ।

11. इस अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों के साथ-साथ औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में शामिल उन शर्तों का अनुपालन उस अवधि के दौरान किया जाना चाहिए जिसके लिए इस स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त किए जाने हैं । केन्द्र सरकार उपर्युक्त अनुमोदन को वापस ले सकती है। मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में विहित शर्तों अथवा इस अधिसूचना की किसी भी शर्त के अनुपालन में असफल रहता है ।

12. केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बिना प्रोजेक्ट प्लान में किया गया कोई भी संशोधन अथवा भविष्य में पता लगना अथवा किसी ठोस तथ्य का उद्घाटन करने में आवेदक का असफल रहना, औद्योगिक पार्क के अनुमोदन को अवैध बना देगा ।